



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276570
CG-DL-E-28092026-276570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5121]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5121]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

सं. 125/ 2026/सीबीडीटी

का.आ. 5328(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(b) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, वालण्ट्री हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई (पैन: AAAAT0017H) को उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(a)(i) और आयकर नियम, 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान की श्रेणी के अंतर्गत 'अन्य संस्थान' के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना वालण्ट्री हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई (पैन: AAAAT0017H) के लिए लागू होगी, बशर्ते कि

(क) वालण्ट्री हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा उन प्रत्येक कर वर्ष के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एसआईआरओ) के रूप में अनुमोदित किया जाना जारी रखा जाता है, जिसके लिए यह अधिसूचना प्रभावी है।

(ख) यह -

- (i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता रहेगा;
- (ii) प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(a) के अंतर्गत प्रपत्र सं. 15 में विवरण तैयार करेगा और आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत बाद आने वाली, 31 मई को या उससे पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा;
- (iii) आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार प्रपत्र संख्या 16 में दान की राशि का उल्लेख करते हुए दान कर्ता को प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2030-2031 तक के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 203/30/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव